कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

जिला जांजगीर–चाम्पा (छत्तीसगढ़)

क्रमांक / एनएचएम / 2018 / 5523 जांजगीर दिनांक 27.12.18

संविदा भर्ती हेतु WALK IN INTERVIEW

माडा पाकेट योजना अंतर्गत (आदिवासी विकास, जांजगीर) बालक छात्रावास अमलडीहा एवं मसनियाखुर्द में निवासरत बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु 01 पद एएनएम की संविदा आधार पर नियुक्ति किये जाने हेतु दिनांक 22 जनवरी 2019 को **WALK IN INTERVIEW** कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जांजगीर –चांपा में प्रातः 09.00 बजे से निम्नानुसार आयोजित किया गया है।

क्र.	पद का नाम	कार्यक्रम का नाम	रिक्त पदों की संख्या	एक मुश्त मासिक वेतन	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	शैक्षणिक योग्यता
01	ANM	माडा पाकेट योजना (आदिवासी विकास, जांजगीर)	01	12000	00	00	00	01	ANM Course passed in Indian Nursing Board & Registration in CG Nurses Registration Council.

चयन प्रकिया के संबंध में दिशा निर्देश

01. Walk In Interview के अलावा आवश्यकतानुसार लिखित / कौशल परीक्षा ली जा सकती है।

02. भर्ती संबंध में समस्त जानकारी एवं सूचना कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट www.janjgir-champa.gov.in में देखा जा सकता है।

03. जिला जांजगीर–चांपा के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी। मूल निवासी उपलब्ध न होने की दशा में अन्य जिले के निवासियों को अवसर दिया जायेगा।

(ब.) आयु सीमा. 01 जनवरी 2018 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2019 से ही जावेगी । इस आयु सीमा में सभी प्रकार की छूट सम्मिलित है।

02.(संविदा भर्ती के संदर्भ में आरक्षण व अन्य शर्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन, नीति 2018 के सभी नियम व शर्तो के अनुसार लागू होगें।

04. WALK IN INTERVIEW चयन प्रकिया

01. एएनएम संविदा पद हेतु **WALK IN INTERVIEW** के लिये कुल विज्ञापित रिक्त पदो के 10 गुना अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

05. **चयन उपरांत काउसलिंग के समय निम्न अभिलेखों के साथ चयनित अभ्यार्थियों का उपस्थित होना अनिवार्य है:–**

01. 10वी की अंक सूची
02. स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्षो की अंकसूची
03. संबंधित डिग्री
04. संबंधित कौंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र
05. सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र
06. मूल निवास प्रमाण पत्र
07. दिव्यांग प्रमाण पत्र

08. अनुभव प्रमाण पत्र –

- यह केवल शासकीय संस्थान एवं सार्वजनिक संस्थानों तथा शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों (यथा SHRC) या उपक्रमों का ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि की स्पष्ट उल्लेख नहीं होने तथा कार्यालयीन जावक क्रमांक नही होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा।
- मितानिनों में से एएनएम/जीएनएम/नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अनुभव अंक प्रतिवर्ष 04 अंक देते हुए अधिकतम 20 अंक दिया जायेगा। उपरोक्त अनुभव 31 दिसम्बर 2017 तक एएनएम पाठ्यक्रम मे उत्तीर्ण हो चुकी मितानिनों के लिए ही लागू होगा।राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत अभ्यर्थीयों को अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 अंक प्रदाय किया जायेगा।

06. अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जावेगी।
- शैक्षाणिक योग्यता में प्राप्तांको का प्रतिशत का – 65 प्रतिशत अंक
- अनुभव का अंक
- साक्षात्कार का अंक

भर्ती के संबंध मे सामान्य शर्ते एवं दिशा– निर्देशः–

01. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

02. संविदा मानदेय :– संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय व अन्य राशि माड़ा पॉकेट योजना अंतर्गत होगा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।

03. उपरोक्त संविदा अवधि 31 मार्च 2019 तक के लिये होगी कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में उक्त अवधि की वृद्धि की जा सकती है नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जायेगें

04. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है इसी प्रकार उक्त अभ्यार्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जाएगा।

05. विशेष आरक्षण अर्हता रखने वाले (दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक/महिला आरक्षण नियमानुसार होगी। अभ्यर्थियों का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न किये जाने होंगे। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न न होने की स्थिति में सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा।

06. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों का सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

07. उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनविार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने के स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

08. संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी का Performance Appraisal नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

09. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यार्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेगा।

10. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्ति रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रकिया/ मापदण्डों पर निर्भर करेगी ।

11. उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतिथा सूची भी जारी की जावगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक रहेगी इस समयावधि में स्वीकृत नए पद /त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।

12. चयन प्रकिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रकिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

13. विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा हो सकती है।

14. भर्ती की प्रकिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार जिला स्तरीय समिति को होगा जो सभी आवेदकों का मान्य होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला जांजगीर–चांपा छ.ग.